संख्या: 6/ 2017 /380/ सत्रह-म-2017-6-9(139)/2012

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

निदेशक मत्सय,
मत्स्य निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक मार्च 2017

विषय प्रतिस्थापन के आधार पर विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 03/2017/355/सत्रह-म- 2017 -6-9(139)/ 2012 दिनांक 16 मार्च, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में मोटर गाडी के क्रय किये जाने हेतु आय-व्ययक अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत वाहन क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख(पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 05 निष्प्रयोज्य जीपों के स्थान पर प्रतिस्थापन के आधार पर 05 (पॉच) बोलेरो एस0एल0ई0 2 डब्लू डी0 डीजल बी0एस0- 4 जीप क्रय किये जाने हेतु प्रति वाहन रू0 6,64,110 (रूपया छः लाख चौसठ हजार एक सौ दस मात्र) की दर से कुल धनराशि रू0 33,20,550 (रूपया तैंतीस लाख बीस हजार पॉच सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बंध में आपके पत्र 211/सा0शा0/वाहन क्रय /2017-18 दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा वर्तमान में उक्त मॉडल की महिन्द्रा जीप के पूर्व डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर में बढोत्तरी हो जाने के कारण डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर प्रति वाहन रू0 6,68,001 (रूपया छः लाख अडसठ हजार एक मात्र) अर्थात प्रति वाहन इकाई दर रू0 3891 की वृद्धि हो जाने के कारण 5 वाहनों के क्रय हेतु कुल रू0 19,455 (रूपया उन्नीस हजार चार सौ पचपन मात्र) के अतिरिक्त व्यय- भार / वृद्धि की स्थिति से अवगत कराते हुए प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत प्रश्नगत 05 वाहनों के क्रय हेतु संशोधित रूप में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

3- इस सम्बंध में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मोटर गाडी के क्रय किये जाने हेतु आय-व्ययक अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत वाहन क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख(पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 05 निष्प्रयोज्य जीपों के स्थान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

पर प्रतिस्थापन के आधार पर 05 (पॉच) बोलेरो एस0एल0ई0 2 डब्लू डी0 डीजल बी0एस0- 4 जीप क्रय किये जाने हेतु प्रति वाहन रू0 6,68,001 (रूपया छः लाख अडसठ हजार एक मात्र) की दर से कुल धनराशि रू0 33,40,005 (रूपया तैंतीस लाख चालीस हजार पॉच मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

4- शासनादेश संख्या- 03/2017/355/सत्रह-म- 2017-6-9(139)/ 2012 दिनांक 16 मार्च, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उसमें उल्लिखित शेष प्राविधान व शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव ।

संख्या : 6 /2017/ 380/ सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार वाहन क्रय की समस्त आवश्यक कार्यवाही चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com